

रवि कुमार गुप्ता (भापुसे)

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं
संचालक, खेल और युवा कल्याण, म.प्र.



खेल और युवा कल्याण संचालनालय, (म.प्र.)
राज्य खेल परिसर, टी.टी. नगर, भोपाल-03
फोन : 0755-2773012
ई मेल : director@dsywmp.gov.in
dirsportsmp@gmail.com
वेबसाइट : www.dsywmp.gov.in

प्रति,

अर्द्ध शा. पत्र क्र. : 123/DSYW
दिनांक : 17/05/2023

1. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश
3. समस्त जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, मध्यप्रदेश।

विषय :- माँ तुझे प्रणाम योजना वर्ष 2023-24 के संबंध में।

—00—

राष्ट्रवाद की भावना से ओत प्रोत "माँ तुझे प्रणाम" योजना म.प्र. शासन की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र की सीमाओं के प्रति आदर का भाव विकसित करना, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सैन्य गतिविधियों तथा दिनचर्या से अवगत कराना, साथ ही राष्ट्र के प्रति समर्पण, नेतृत्व विकास पर मार्गदर्शन दिया जाना है। योजना के प्रमुख बिन्दू निम्नानुसार है -

- योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-2024 के लिये विकासखण्ड स्तर पर 10 युवाओं (05 युवक एवं 05 युवतियों) का चयन भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनुभव यात्रा के लिये किया जावे।
- विकासखण्ड स्तर पर चयन में 01 एन.सी.सी., 01 एन.एस.एस., 01 खिलाड़ी, 01 मेधावी छात्र, 01 स्काउट एवं इसी मान से युवतियाँ, जिनकी आयु 15 से 25 वर्ष दिनांक 31.12.2023 तक हो, का चयन किया जावे। चयन के मापदण्ड परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।
- युवाओं के चयन हेतु विधिवत् प्रचार-प्रसार किया जावे।
- विकासखण्ड स्तर पर युवाओं के चयन हेतु विधिवत् आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावे।
- युवाओं का चयन मापदण्ड अनुसार ही निर्धारित श्रेणी में ही पात्र होने पर ही किया जावे।
- जिला स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर एवं अन्य सदस्य- जिला पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र, एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट-गाइड, चिन्हित महाविद्यालय के जिला प्रभारी एवं जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
- विकासखण्ड स्तर से युवाओं के आवेदन पत्र प्राप्त कर चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा।
- अनुभव यात्रा के चयन के लिये युवाओं से जिला स्तर पर विधिवत् संलग्न निर्धारित प्रपत्र अनुसार आवेदन पत्र व फिटनेस सर्टिफिकेट/चिकित्सा, जोखिम एवं संबंधित थाने से चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जावेगा।
- एक युवा एक ही स्थान पर जा सकेगा। यदि कोई युवा अनुभव यात्रा पर जाने में असहमति प्रदान करता है तो उसे आगामी किसी भी अनुभव यात्रा में नहीं भेजा जावेगा।
- चयनित युवाओं को मात्र एक बार ही अनुभव यात्रा में भेजा जावेगा।

- जिला स्तर पर प्राप्त आवेदनों का सूक्ष्म परीक्षण किया जावे उसके पश्चात् ही लॉटरी द्वारा युवाओं का चयन किया जावे।
- पूर्व में अनुभव यात्रा पर भेजे गये युवाओं का चयन न किया जावे।

चयन कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :-

क्र.	दिनांक	की जाने वाली कार्यवाही	रिमार्क
1.	23 मई से 10 जून 2023 तक	विकासखण्ड स्तर पर युवाओं के आवेदन पत्र आमंत्रित करना	कार्यवाही जिला स्तर पर
2.	11 से 16 जून 2023 तक	जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से युवाओं का चयन	
3.	17 से 20 जून 2023 तक	लॉटरी के माध्यम से चयनित युवाओं की सूची संचालनालय को सॉफ्ट कॉपी एक्सल शीट में एवं हार्ड कॉपी हस्ताक्षर की हुई ई-मेल करना	

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



(रवि कुमार गुप्ता)
संचालक

खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 17/5/2023

पृ.क्र./ 124 / खे.यु.क./मा.तु.प्र./2023

- 1/ निज सचिव, माननीया, मंत्री जी, खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
- 2/ प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग
- 3/ समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.
- 4/ आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
- 5/ आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
- 6/ राज्य सचिव, स्काउट एण्ड गाइड, मध्यप्रदेश
- 7/ अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.), मध्यप्रदेश
- 8/ क्षेत्रीय निदेशक, एन.एस.एस., मध्यप्रदेश
- 9/ क्षेत्रीय निदेशक, नेहरू युवा केन्द्र मध्यप्रदेश
- 10/ प्रभारी आई.टी. शाखा, टी.टी.नगर स्टेडियम

—की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



संचालक,

खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश

चयन के लिये पात्रता


क्र.	श्रेणी	चयन में वरीयता का आधार
1.	एन.सी.सी.	<ol style="list-style-type: none"> 1. सी. सर्टीफिकेट 2. बी. सर्टीफिकेट 3. ए. सर्टीफिकेट
2.	खेल	<ol style="list-style-type: none"> 1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त 2. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता 3. राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त 4. राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता 5. राज्य स्तर पर पदक प्राप्त 6. राज्य स्तर पर सहभागिता 7. संभाग स्तर पर पदक प्राप्त 8. संभाग स्तर पर सहभागिता 9. जिला स्तर पर पदक प्राप्त 10. जिला स्तर पर सहभागिता
3.	एन.एस.एस.	<ol style="list-style-type: none"> 1. भारतीय युवा प्रतिनिधि मण्डल में एन.एस.एस. की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में प्रतिभागिता की हो। 2. इंदिरा गांधी एन.एस.एस. राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया हो। 3. गणतंत्र दिवस एन.एस.एस. परेड में प्रतिभागिता की हो। 4. राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रतिभागिता। 5. एन.एस.एस. मेगा शिविर में प्रतिभागिता। 6. एन.एस.एस. के पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर में प्रतिभागिता। 7. एन.एस.एस. के राष्ट्रीय एकता शिविर में प्रतिभागिता। 8. एन.एस.एस. साहसिक कार्यक्रम शिविर में प्रतिभागिता। 9. राज्य स्तरीय एन.एस.एस. शिविर में प्रतिभागिता। 10. विश्वविद्यालय स्तरीय एन.एस.एस. शिविर में प्रतिभागिता। 11. जिला स्तरीय एन.एस.एस. शिविर में प्रतिभागिता। 12. ईकाई के एन.एस.एस. शिविर में प्रतिभागिता।

		13. एन.एस.एस. का 'ए' 'बी' व 'सी' प्रमाण-पत्र धारी हो
4	मेधावी	निर्धारित आयु वर्ग के अंतर्गत आयोजित परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त
5	स्काउट	<ol style="list-style-type: none"> 1. अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी 2. राष्ट्रीय जम्बूरी 3. राष्ट्रपति स्काउट गाइड रोवर रेंजर पुरस्कार 4. राज्य पुरस्कार 5. तृतीय सौंपान 6. द्वितीय सौंपान

क्रमांक

आवेदन पत्र
"माँ तुझे प्रणाम "

1. आवेदक का पूरा नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्मतिथि एवं उम्र :
4. स्थायी पता :



5. जाति-सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/पिछड़ा वर्ग :
6. ब्लड ग्रुप :
7. फोन नंबर मोबाईल नंबर
8. शैक्षणिक योग्यता
9. अन्य योग्यता
(खेल/एन.एस.एस./एन.सी.सी.)

(हस्ताक्षर आवेदक)

नाम

नोट :- नाबालिग होने की स्थिति में माता/पिता का सहमति पत्र

शापथ -पत्र

मैंपिता श्री
अपने पुत्र/पुत्रीकोजाने की अनुमति
प्रदान करता/करती हूँ। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में एक्सपोजर विजिट पर मेरे पुत्र/पुत्री
के साथ हुई किसी भी घटना/दुघटना के लिये मध्यप्रदेश शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं
होगी।

(हस्ताक्षक पालक)

नाम

अधिकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती/कु.
पिता/पति श्रीकी चिकित्सा जाँच मेरे द्वारा की गई।

श्री/श्रीमती/कु.भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में
एक्सपोजर विजिट पर जाने हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ है।

दिनांक :-

चिकित्सक का नाम

पद

रजिस्ट्रेशन नंबर

मुद्रा (सील)

चरित्र प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.
आत्मज/आत्मजा श्रीग्राम/नगर
पोस्टथानाजिलाके
निवासी हैं। इनका चरित्र एवं व्यवहार उत्तम हैं। इनके ऊपर कोई भी आपराधिक प्रकरण
पंजीबद्ध नहीं है।

थाना प्रभारी के हस्ताक्षर एवं सील